Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर)** मुकाम **चित्तौड़गढ**

चुन्नीलाल बनाम **परियोजना निदेशक NHAI**

कार्यवाही अन्तर्गत :– धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील (NHAI)** नं0 **026** सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2023	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही समाप्त किये जाने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल हाजिर प्रत्यर्थी को दिलवाई गई। इस पर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही समाप्त किये जाने को सुना गया। वकील अप्रार्थी द्वार अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी अवाप्ति अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण के संबंध में आवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 (ए) दिनांक 26.07.2021 को राजपत्र में प्रकाशित हुई है। प्रकाशित अधिसूचना अनुसार अवार्ड कार्यवाही अवाप्ति अधिकारी द्वारा ही निर्णित विधि अनुसार की जानी है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। अपीलार्थी स्वयं अपना आवेदन नहीं चलना चाहते है ऐसी स्थिति में वकील अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलार्थी विड्रोल में खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अभिलेख मय अहकाम की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/D- (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 26.09.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए